न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी : – राकेश कुमार गुप्ता (R.A.S.)
राजस्व वाद संख्या : – 11/2021

उनवान

शैतान सिंह पुत्र नानू सिंह जाति रावत निवासी ग्राम अंसरी, नसीराबाद
---- प्रार्थी :– जरियें अधिवक्ता श्री सुखदेव चौधरी

बनाम

राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद।
-- अप्रार्थी :– जरियें राज0 पैरोकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: आदेश :– दिनांक :– 27.8.21

प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम अन्सरी पटवार मण्डल भीमपुरा तहसील नसीराबाद के खाता संख्या 243/33 के हाल खसरा नम्बर 907 रकबा 0.16, 912 रकबा 0.30 प्रार्थी की खातेदारी की भूमि है। प्रार्थी अपनी खातेदारी आराजी पर प्रवेश के लिये खसरा नम्बर 908 में से होकर आवागमन करता है। खसरा नम्बर 908 राजस्व अभिलेख में सिवायचक है। प्रार्थी की खातेदारी आराजी पर आवागमन हेतु राजस्व अभिलेख व मौके पर कोई रास्ता विधमान नही है जिस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी आराजी पर आवागमन हेतु खसरा नम्बर 908 का उपयोग करता है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि ग्राम अन्सरी में स्थित प्रार्थी की खातेदारी पर आवागमन हेतु खसरा नम्बर 908 मे से प्रार्थी को 30 फिट चौडा रास्ता माननीय न्यायालय द्वारा प्रदान किया जावे। उक्त अनुसार आदेश जारी कर तहसीलदार नसीराबाद को राजस्व रेकार्ड व मानचित्र में रास्ता दर्ज करने के भी आदेश पारित करावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरियें नोटिस तलब किया गया। मौका रिपोर्ट तलब की गयी।

तहसीलदार नसीराबाद ने मौका रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि प्रस्तावित आराजी पर आवागमन सिवायचक आराजी खसरा नम्बर 908 में से हो रहा है। खसरा नम्बर 908 पर कैलाश पुत्र भागू द्वारा वर्तमान में तारबं[illegible] किया हुआ है। प्रार्थी को चाहे गये मार्ग की आत्यतिंक आवश्यकता है। उक्त भूमि[illegible] मीटर गुणा 4 मीटर कुल 160 वर्ग मीटर मार्ग हेतु आवश्यक है। जिसकी डी0एल0सी0 दर [illegible] राशि 5812/- रूपये होती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2021.09.24 14:00:59 IST
Reason: SelfAttested

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण व राज0 पैरोकार के तर्को पर मनन किया। ग्राम अंसरी के हाल खसरा नम्बर 907, 911 व 912 प्रर्थी की एकल खातेदारी

उपखण्ड अधिकारी

में दर्ज है। प्रार्थी उक्त खातेदारी आराजी पर आवागमन हेतु सिवायचक खसरा नम्बर 908 रकबा 0.09 में से रास्ता चाहता है। तहसीलदार नसीराबाद द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित आराजी पर आवागमन सिवायचक आराजी खसरा नम्बर 908 में से हो रहा है। खसरा नम्बर 908 पर कैलाश पुत्र भागू द्वारा वर्तमान में तारबंदी व हल चलाकर कब्जा किया किया हुआ है। प्रार्थी को चाहे गये मार्ग की आत्यतिंक आवश्यकता है। उक्त भूमि में से 40 मीटर गुणा 4 मीटर कुल 160 वर्ग मीटर मार्ग हेतु आवश्यक है। जिसकी डी0एल0सी0 दर से राशि 5812/ रूपये होती है। मौका रिपोर्ट अनुसार उक्त आराजी पर आवागमन हेतु प्रार्थी के पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौके व रेकार्ड में उपलब्ध नही है। खसरा नम्बर 908 पर मौका रिपोर्ट अनुसार कैलाश पुत्र भागू ने अतिकमण कर रखा है। किन्तु खसरा नम्बर 908 सिवायचक होने के कारण उस पर स्थित अतिकमण को बेदखल करने की कार्यवाही न्यायोचित है। प्रार्थी को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता भी सिद्व होती है। धारा 251 ए की मूल अवधारणा एक आसामी को अपनी भूमि तक आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध कराने की अतः प्रार्थी खसरा नम्बर 908 में से रास्ता प्राप्त करने का अधिकारी है।

उक्तानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है। ग्राम असंरी के खसरा नम्बर 908 में से 40 मीटर गुणा 4 मीटर कुल 160 वर्ग मीटर आराजी सिवायचक रास्ता दर्ज करने के आदेश जारी किये जाते है। उक्त मार्ग के एवज में डी. एल. सी. दर से 2 गुना राशि 11624/ अक्षरे ग्यारह हजार छः सौ चौबीस रूपये प्रार्थी द्वारा राजकोष में जमा करवाने के बाद तहसीलदार नसीराबाद उक्त रकबे को मौका रिपोर्ट में दर्ज नजरी नक्शा अनुसार राजस्व अभिलेख में सिवायचक रास्ता दर्ज करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2021.09.24 14:00:59 IST
Reason: SelfAttested